

केन्द्र का नाम –
एवं पता –.....
चिकित्सक का नाम –.....
पंजीयन क्रमांक –.....
पंजीयन की अवधि – दिनांकसेतक



यहाँ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग
चयन नहीं किया जाता है

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जाँच
कानूनन दण्डनीय अपराध है।

कानून का उल्लंघन करने वाले चिकित्सक को

- तीन वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
- दोष सिद्ध होने पर पाँच साल तक का कारावास एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना।



चिकित्सक का पंजीयन

- चार्ज फ्रेम होने पर स्टेट मेडिकल कॉउंसिल द्वारा पंजीयन का निलम्बन।
- दोष सिद्ध होने पर पाँच वर्ष के लिए पंजीयन का निरस्तीकरण एवं दोबारा दोष सिद्ध होने पर हमेशा के लिए पंजीयन का निरस्तीकरण।

गर्भस्थ शिशु की लिंग जाँच अथवा लिंग निर्धारण करवाने वाले या करवाने
के लिए प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों को

- तीन वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना।
- दोबारा दोष सिद्ध होने पर पाँच वर्ष तक का कारावास एवं 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना।

केन्द्र का नाम –
एवं पता –.....
चिकित्सक का नाम –.....
पंजीयन क्रमांक –.....
पंजीयन की अवधि –दिनांक.....सेतक

यहाँ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन
नहीं किया जाता है



क्यों मर रही हैं हमारी बेटियाँ?

कौन मार रहा है हमारी बेटियों को?

क्या आप जानते हैं कि
यह एक दण्डनीय अपराध है?



आईए दोषियों को चिह्नित करें
एवं दण्ड दिलाएं।



बेटा—बेटी दोनों कुदरत के वरदान हैं।
आईए भेदभाव बन्द करें, बेटियों को बचाएं।